

राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र  
सुरक्षा अनुभाग

रंगीन फोटो  
3.5x4.5cm

वाहन प्रवेश पत्र / स्टीकर के लिए आवेदन (हल्के वाहन) दो/चार पहिया

नाम		पदनाम			
सं.सं.सं.		सेवानिवृत्ति दिनांक			
कार्यालय / अनुभाग / प्रभाग :		घर का पता :			
टेलीफोन नंबर		टेलीफोन नंबर	मोबाइल		
पंजीकरण संख्या		जिसके नाम से पंजीकृत है उसका नाम			
वाहन का विवरण					
निर्माण	प्रकार	रंग	चेसिस नं		
आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण जो वाहनों का उपयोग कर रहे हैं					
क्र.सं.	नाम	उम्र	आवेदक से संबंध / स्वयं	डाइविंग लाइसेंस	सं.सं.सं.
01					
02					
03					
04					

मैं यह वचन देता हूँ कि :

- यदि वाहन प्रवेश पत्र खो जाता है, तो पुनः प्रवेश पत्र जारी करने के लिए, कैशियर के यहाँ रुपये 50/- की राशि जमा कर प्राप्त रसीद आवेदन पत्र के साथ जमा करूँगा।
- सेवानिवृत्ति या वाहन की बिक्री / चोरी या प्रवेश पत्र की वैधता समाप्त होने पर, वाहन प्रवेश पत्र राराप्रप्रौके के सुरक्षा अनुभाग में जमा करवा दूँगा।
- "वाहन बीमा" की जिम्मेदारी वाहन के मालिक की होगी।
- जिस वाहन के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया है एवं यदि उसे बेचा जाता है, तो यह सुनिश्चित करूँगा कि उस वाहन से स्टीकर हटा दिया गया है।

निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं :

क) वाहन पंजीकरण

ख) अं.स्वा.से.यो.कार्ड की प्रतियां (पूर्व कर्मचारी के लिए)

कर्मचारी / पूर्व-कर्मचारी के हस्ताक्षर

ग) दो रंगीन फोटो 3.5 (चौ.)x 4.5 (लं.)

दिनांक: / /

प्रमाणित किया जाता है कि वाहन मालिक को

स.का.अ.(सतर्कता) -----

परिवार के सदस्य के रूप में घोषित किया गया।

मु.प्र.अ./प्र.अ.-III, राराप्रप्रौके-----

**केवल कार्यालय उपयोग के लिए: सुरक्षा अनुभाग**

संबंधित दस्तावेजों को मूल प्रति के साथ सत्यापित किया गया और सही पाया गया।

श्री / श्रीमती / सुश्री / \_\_\_\_\_ को दिनांक \_\_\_\_\_ को वाहन प्रवेश पत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक के लिए जारी किया गया।

प्रवेश पत्र धारक के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर / सुरक्षा अधिकारी

**APPLICATION FOR VEHICLE PASS/STICKER(LIGHT VEHICLE)/TWO/FOUR WHEELER**

NAME		DESIGNATION			
C.C NO		DATE OF RETIREMENT			
Office/Sec/Div:	Residential Address:				
Tel no.	Tel no.	Mobile:			
Registration No.	Name of Regd. OWNER:				
<b>VEHICLE PARTICULARS</b>					
Make	Type	Color	Chassis No.		
Particulars of dependent family members who are using vehicles					
Sr. No	Name	Age	Relation with Applicant /Self	Driving license	CHSS No.
01			Self		
02					
03					
04					

I undertake that :

- i. If the vehicle pass is lost, then for re-issue of pass, an amount of Rs.50/- will be deposited with cashier and receipt obtained will be submitted along with application.
- ii. On retirement or vehicle is sold / stolen or on expiry of validity of pass, vehicle pass will be deposited to Security Section, RRCAT.
- iii. The responsibility of "Vehicle Insurance" shall be of the owner of vehicle.
- iv. When vehicle for which sticker is issued is sold, it will be ensured that the sticker is removed.

Copies of the following documents are attached

- a) Vehicle Registration
- b) Copies of CHSS Cards (for Ex-employee)
- c) Two colour photographs 3.5(w) x 4.5(l)

Date:     /     /

Signature of Employee /Ex-Employee

Certified that the owner of the vehicle has  
been declared as a family Member.

APO (Vigilance)-----

CAO /AO-III, RRCAT-----

**For office use only : Security Section**

Relevant documents are verified with original and found correct.

Vehicle Pass No. \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ issued on  
\_\_\_\_\_ to Shri/Smt/Ms/ \_\_\_\_\_

Signature of Pass Holder

Sig. of Issuing Authority /Security Officer